न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 46/2010

सायल :- बनाम गै0सा0 :-

1. पूनाराम पुत्र जालाराम
   जाति-जाट, निवासी-फालका
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. सीता पत्नी बक्साराम
2. नेमाराम पुत्र बक्साराम
3. सोहनी पत्नी बगदाराम
4. महिपाल पुत्र बगदाराम
5. दिलीप पुत्र बगदाराम
6. तोलादेवी पुत्री बगदाराम
   गैरसायल संख्या 4 से 6
   नाबालिग जरिये कुदरती वलीया
   माता सोहनदेवी पत्नी बगदाराम
   जातियान-जाट निवासीगण-फालका
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:. 12/05/2010

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 16/06/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-फालका में सायल व गैरसायलान की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 486, 487, 488, 494, 618, 1005, 1026 कुल खसरा 7 कुल रकबा 86-18 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि सायल का 1/2 हिस्सा हैं तथा गैरसायल संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा हैं। हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश की हैं। उक्त आराजी को आगे वाद में प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सायल एवं गैरसायलान एक पूर्वज की संतान हैं। जिसकी वंशवली अनुसार मूल पुरूष धन्ना पुत्र रामा (फौत) के पुत्रगण जाला (फौत) व घीसा (फौत) हुए तथा जाला (फौत) का पुत्र पुनाराम हैं। घीसा (फौत) के पुत्रगण बक्साराम (फौत) व बगदाराम (फौत) हुए तथा बक्साराम (फौत) की पत्नि सीता व पुत्र नेमाराम हैं। बगदाराम (फौत) की पत्नि सोहनी, पुत्री तोलादेवी एवं पुत्रगण महिपाल व दिलीप हुए। उक्त वर्णित वंशावली में दर्शायनुसार उक्त वर्णित आराजी धन्ना पुत्र रामा की थी एवं वक्त सैटलमेंट के रामा इस आराजी पर कब्जा व काश्त भी धन्ना का ही था, नकल मिसल बंदोबस्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिससे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त वर्णित विवादित आराजी जो कि सायल एवं गैरसायलान की पैतृक सम्पति है जो कि सेटलमेन्ट के समय से धन्ना के नाम थी परन्तु धन्ना के फौत होने के पश्चात

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

फोतदगी म्यूटेशन संख्या 52 दिनांक 11/10/1968 भरा गया था, जो तत्कालीन पटवारी व सरपंच ने धन्ना के वारिसान की जांच किये बिना घीसा पुत्र धन्ना अकेले को वारिस मानकर म्यूटेशन भर दिया तथा बिना उत्तराधिकारियों की जांच किये सायल के पिता का नाम गलती से बतौर धन्ना के वारिस का नाम छोड दिया एवं तब इस विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में भी सायल के पिता का नाम बतौर धन्ना के उत्तराधिकारी नाम दर्ज नहीं किया गया, लेकिन विवादित आराज़ी में मौके पर सायल के पिता बतौर खातेदार काश्तकार के रुप में काबिज होकर काश्त करते थे तथा उनके फौत होने के पश्चात सायल बतौर खातेदार काश्तकार मौके पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं एवं समय समय पर जमा करवाया जावें वाला राजस्व शुल्क अर्थात बिगोडी भी सायल ही जमा करवाता चला आ रहा हैं। सायल अनपढ व्यक्ति हैं एवं ग्रामिण पिरवेश में भोला व्यक्ति होने एवं मजदूरी काश्त के धंधे में व्यस्त रहने से सायल विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में अपना ध्यान मे नही दिया। परन्तु अब सायल को यह ध्यान में आया कि कृषि भूमि पर किसान केडित कार्ड से बैंक से ऋण मिलता हैं, जिस पर ब्याज सस्ता होने से सायल ने अपनी कृषि भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने की सोची व बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहा। तब संबधित हल्का पटवारी के पास राजस्व रेकर्ड देखा, तो पता चला कि राजस्व रेकर्ड में गैरसायलान के नाम दर्ज हैं। तब सायल ने मिसल बंदोबस्त व नकल जमाबंदी संवत 2024 से 2027 तथा म्यूटैशन संख्या 52 दिनांक 11/10/1968 प्राप्त करने पर देखा, तो पता चला कि उक्त त्रुटि सायल के दादा के फौत होने के पश्चात जो फौतदेगी म्यूटेशन भरा गया था। जिसमें कानूनी वारिसान की जांच किये बगैर भरा इसलिए उक्त म्यूटेशन संख्या 52 दिनांक 11/10/68 निरस्त किया जाकर सायल को भी उक्त विवादित आराजी का 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। उक्त वर्णित विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर सायल का कब्जा व काश्त हैं एवं 1/2 हिस्से पर गैरसायलान बतौर खातेदार काश्तकार के काविज होकर काश्त कर रहे हैं तथा सायल का कब्जा अपने पिता जाला के समय से ही चला आ रहा हैं। लेकिन तत्कालीन राजस्व अधिकारीयों की गलती से सायल के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार के दर्ज होने से रह गया एवं उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में विधि विरुद्ध रुप से गैरसायलान के नाम से दर्ज कर दी गयी थी, जिसे अब गैर सायलान की नियत में खोट आ गयी एवं गैरसायलान सायल को उक्त विवादित आराजी से बेदखल कर बैचान करना चाहते हैं। अगर गैरसायलान ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो सायल का अपने जायज हक व अधिकारों से महरुम हो जायेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। इसलिए सायल का यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। सायल द्वारा राजस्व रेकर्ड देखाने पर जब पता चला कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं हैं तब दिनांक 30/04/2010 को सायल ने गैरसायलान को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से में नाम दर्ज करवाने बाबत कहा, तो गैरसायलान ईन्कार हो गये तथा यह ऐलानिया धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि से कब्जा हटा देना अन्यथा लाठी के बल पर तुम्हे बेदखल कर देगें तथा उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को बैचान करेगें तथा तुम्हारा उक्त कृषि भूमि मे कोई हक व अधिकार नहीं हैं। गैरसायलान द्वारा सायलान को बेदखल करने एवं सायल को उसके कब्जे काश्त में दखलदांजी करने एवं विवादित आराजी का बैचान किया गया तो सायल ऐसा हरगिज नहीं करने देगा तथा जिससे विवाद बढेगा एवं विभिन्न प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी। तथा सायल के पास अन्य

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान पेश हैं। उक्त वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर सायलान के कब्जे काश्त के आधार पर व सायलान की पैतृक व पुश्तैनी आराजी होने से प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष मे बखुबी साबित है। तथा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में दस्तावेजात के आधार पर सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में हैं यदि गैरसायलान सायल को उक्त विवादित आराजी से बेदखल कर किसी अन्य को रहन, बैचान, बख्शीश कर हस्तान्तरण कर दिया जाता हैं, तो सायल को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फलका में पेश हुई। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायलान के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12/05/2010 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। सायलान व गैरसायलान की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि की रहन, बेचान, अन्य हस्तान्तरण आदि नहीं करें एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-फालका में सायलान व गैरसायलान की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 486, 487, 488, 494, 618, 1005, 1026 कुल खसरा 7 कुल रकबा 86-18 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि की रहन, बेचान, अन्य हस्तान्तरण आदि नहीं करें एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 12/05/2010 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फालका पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner